न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.– 76 / 2024

गिरधारी लाल पुत्र गुलाब जाति धाणक निवासी घासला अगुना तहसील तारानगर जिला चूरू। – प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर। – अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 28/6/24

निर्णय

.....

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी माना तहसील तारानगर के खसरा सं. 1266 / 6 तादादी 2.9716 हेक्ट. तथा रोही मौजा रैयाटुण्डा के खसरा सं. 1853 / 369 तादादी 5.3235 हेक्ट. है। जिसमें प्रार्थी का निवास स्थान ढाणी माना अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का सही निवास स्थान घासला अगुना है। प्रार्थी के आधार कार्ड, जन आधारकार्ड पैन–कार्ड, पहचान–पत्र, राशन–कार्ड, मूलनिवास तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का निवास स्थान घासला अगुना है, जो कि प्रार्थी का सही निवास है। निवास स्थान में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना निवास स्थान दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी मे निवास दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी माना तहसील तारानगर के खसरा सं. 1266 / 6 तादादी 2.9716 हेक्ट. तथा रोही मौजा रैयाटुण्डा के खसरा सं. 1853 / 369 तादादी 5.3235 हेक्ट. में प्रार्थी का निवास स्थान घासला अगुना किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार प्रार्थी का निवास स्थान घासला अगुना राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपना निवास स्थान आधार कार्ड, जन आधारकार्ड पैन–कार्ड, पहचान–पत्र, राशन–कार्ड, मूलनिवास व अन्य दस्तावेजों के आधार पर ढाणी माना की जगह घासला अगुना करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान ढाणी माना ही दर्ज है। अतः प्रार्थी का निवास स्थान ढाणी माना की जगह घासला अगुना दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान–पत्र, पैन–कार्ड, राशन कार्ड, मूलनिवास से प्रार्थी का निवास स्थान घासला अगुना होना पाया जाता है। कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी माना तहसील तारानगर के खसरा सं. 1266 / 6 तादादी 2.9716 हेक्ट. तथा रोही मौजा रैयाटुण्डा के खसरा सं. 1853 / 369 तादादी 5.3235 हेक्ट. की जमाबन्दी में प्रार्थी का निवास स्थान **ढाणी माना** की जगह **घासला अगुना** अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/24..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)